न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 87/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/238

प्रार्थीः–

मृतक भानाराम पुत्र लालाराम जाति सीरवी निवासी ग्राम बिठुडा खुर्द हाल निवासी मारवाड़ जंक्शन, के विधिक वारिसान

1. सम्पतराज पुत्र स्व. भानाराम
2. रामलाल पुत्र स्व. भानाराम
3. नारायणलाल पुत्र स्व. भानाराम जातिगण सीरवी निवासीगण ग्राम बिठुडा खुर्द हाल निवासी मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गिरधारीलाल पुत्र जोगाराम देवासी
2. स्व. वसनाराम पुत्र जोगाराम देवासी के कायम मुकाम
   2/1 रमेश पुत्र स्व. वसनाराम
   2/2 महेन्द्र पुत्र स्व. वसनाराम
   2/3 तेजाराम पुत्र स्व. वसनाराम
   2/4 शंकरलाल पुत्र स्व. वसनाराम
   2/5 मीरा पत्नी स्व. वसनाराम
   जातिगण देवासी निवासीगण ग्राम बिठुडा खुर्द तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान
3. ग्राम पंचायत चवाडिया पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2/4, 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चवाडिया द्वारा मिसल संख्या 10/95–96, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.11.1998 एवं उसकी पालना में वसनाराम, गिरधारीलाल पुत्र जोगाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 918 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबाद भूमि से भिन्न प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 532 एवं गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 136 की भूमि पर जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का आज तक कोई भी कब्जा नहीं रहा और न ही कोई मकान का निर्माण किया हुआ है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का 24 वर्ष से कब्जा है। ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी नहीं किया हुआ है। तहसीलदार ने अप्रार्थी की अनुपस्थिति में जैर निगरानी आराजी का मौका मुआयना किया और गलत रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी होने के उपरान्त भी लगभग 25 वर्ष बाद जैर निगरानी याचिका पेश की, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीकों से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चवाडिया द्वारा मिसल संख्या 10/95–96, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.11.1998 एवं उसकी पालना में वसनाराम, गिरधारीलाल पुत्र जोगाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 918 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस उज्र किया कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 25 वर्ष देरीना पेश की है जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 25 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि से भिन्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, जिसकी ताईद में उन्होनें आईएलआर बाडसा की रिपोर्ट पेश की। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों के तहत आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस तथ्यों की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध रामलाल द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.09.2023 के सम्बन्ध में भू.अ.नि. बाडसा की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2023 में अंकितानुसार "वर्तमान में खसरा संख्या 532 में आधा पडत व आधे में मेहन्दी की फसल खडी है। इसी खसरे में से गांव की आबादी के पास होते हुए गै.मु.सडक निकली हुई है। जिसके पास उक्त निर्माण की हुई बाउड्री है, जिसका आंशिक भाग खसरा संख्या 532 में आता है एवं आंशिक हिस्सा गै.मु.रास्ते में आता है। उक्त निर्माण कार्य गिरधारीलाल पुत्र जोगाराम वगैरा देवासी द्वारा किया गया है।" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि का आंशिक भाग खातेदारी एवं रास्ते की भूमि में सम्मिलित है तथा पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया गया था। ग्राम बिठुडाखुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार खसरा संख्या 532 की भूमि प्रार्थी भानाराम के खातेदारी हिस्से में दर्ज है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार केवल आबादी भूमि तक सीमित होता है, अगर ग्राम पंचायत आबादी भूमि के बाहर कृषि भूमि या रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करती है, तो वह अवैध और शून्य (null and void) माना जाएगा।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि के अन्यत्र भूमि पर जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

– Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चवाडिया द्वारा मिसल संख्या 10/95–96, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.11.1998 एवं उसकी पालना में वसनाराम, गिरधारीलाल पुत्र जोगाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 918 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली (राज.)